सत्यापित किए जाने वाले फीचर एवं वह दस्तावेज जिनको ग्राहकों से प्राप्त किया जाना है:-

क्रम सं.	जमाकर्ताओं की श्रेणी	पहचान के अपेक्षित दस्तावेज
1.	वैयक्तिक - विधिक नाम एवं उपयोग में लाए जाने वाले कोई अन्य नाम	(i) पासपोर्ट (ii) पैन कार्ड (iii) मतदाता पहचान पत्र (iv) ड्राइविंग लाइसेंस (v) पहचान पत्र एचएफसी की संतुष्टि की शर्त पर (vi)मान्यता प्राप्त सार्वजनिक प्राधिकारी या पहचान को सत्यापित करते हुए लोक सेवक का पत्र एवं एचएफसी की संतुष्टि के लिए ग्राहक का पता
	- स्थायी पता	(i) टेलीफोन बिल (ii) खाता विवरण (iii) किसी भी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक प्राधिकारी का पत्र(iv) विद्युत बिल (v) राशन कार्ड(vi) नियोक्ता का पत्र (एचएफसी की संतुष्टि की शर्त पर) (कोई अन्य दस्तावेज जो एचएफसी की संतुष्टि के लिए ग्राहक सूचना प्रदान करते हो)
2.	कंपनियाँ - कंपनी का नाम - कारोबार का मुख्य स्थान - कंपनी का पता - टेलीफोन/फैक्स सं.	(i) पंजीकरण प्रमाण पत्र, यदि पंजीकृत है (ii) साझीदारी डीड (iii) अपनी ओर से कारोबार आदान प्रदान करने के लिए फर्म के किसी भी कर्मचारी या साझीदार को अनुमति प्राप्त पावर ऑफ अटॉर्नी (iv) साझीदारों को सत्यापित करते हुए कोई भी कार्यालयी वैद्य दस्तावेज एवं पावर आफ अटॉर्नीधारक एवं उनके पते (v) फर्म/साझीदारों के नाम में टेलीफोन बिल
3.	साझीदार फर्म - विधिक नाम - पता - सभी साझीदारों के नाम एवं उनके पते - फर्म एवं साझीदारों के टेलीफोन नं.	(i) पंजीकरण प्रमाण पत्र, यदि पंजीकृत है तो (ii) साझीदारीडीड (iii) अपनी ओर से कारोबार करने के लिए फर्म के किसी भी साझीदार या कर्मचारी को सौंपी गई पॉवर ऑफ अटॉनी (iv) साझीदारों की पहचान करवाने वाला कोई भी कार्यालयी वैद्य दस्तावेज एवं पॉवर ऑफ अटॉनी रखने वाले व्यक्ति एवं उनके पते (v) फर्म/साझीदारों के नाम में टेलीफोन बिल
4.	ट्रस्ट एवं फाउंडेशन -ट्रस्टी के नाम सेटलर, लाभार्थी एवं हस्ताक्षरकर्ता -संस्थापक के नाम एवं पते, प्रबंधक/ निदेशक एवं लाभार्थी -टेलीफोन/फैक्स नम्बर	(i) पंजीकरण प्रमाण पत्र, यदि पंजीकृत है (ii) उसकी ओर से कारोबार आदान प्रदान करने के लिए अनुमति प्राप्त पावर आफ अटॉर्नी (iii) ट्रस्टी, सेटलर, लाभार्थी की पहचान के लिए कोई भी कार्यालयी वैद्य दस्तावेज एवं पावर आफ अटॉर्नी धारक, संस्थापक/प्रबंधक/निदेशक एवं उनके पते (iv) फाउंडेशन के प्रबंधन निकाय का संकल्प
5.	गैर-निगमित संस्थाएं या वैयक्तिक निकाय.	(i) इन प्रबंधकीय संस्था निकाय या वैयक्ति निकाय का संकल्प (ii) अपनी ओर से कारोबार करने के लिए उनको सौंपी गई पॉवर ऑफ अटॉनी (iii) अपनी ओर से लेनदेन के लिए अटॉर्नी धारक के कोई भी कार्यालयी वैद्य दस्तावेज (iv)और इन संस्थाओं या वैयक्तिक निकायों की पूर्ण रूप से विधिक पहचान के लिए एचएफसी द्वारा यथा अपेक्षित अन्य सूचना। 'कार्यालयी वैध दस्तावेज' में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन नम्बर, भारतीय चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदाता पहचान पत्र, भारतीत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से जारी नाम, पता और आधार नंबर सहित आधार कार्ड/पत्र या कंपनी द्वारा यथा अपेक्षित अन्य कोई दस्तावेज शामिल होते हैं।